## विचार बिन्दु

आत्मा के आनंद रूपी सामंजस्य का बाहरी रूप दया है। –विलियम हैज़लित

# मातृभाषा का अर्थ और औचित्य, संविधान की आठवीं अनुसूची के संदर्भ में

'राजस्थान मातृभाषा वास्ते' महाराजा गजेन्द्रसिंह ने एक अपील निकाली और राजस्थानी को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किये जाने की चर्चा कर भाषाई विवाद खडा किया और विधानसभा ने दिनांक 25.8.2003 को राजस्थानी यथा ब्रज, ढूंढाडी, मारवाडी, बागडी, हाडौती, शेखावाटी आदि को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने का एक संकल्प (प्रस्ताव) पारित किया। यहीं से राजस्थानी भाषा का विवाद प्रारम्भ हुआ। राजस्थान शब्द आजादी के बाद सुनने को मिला, इससे पूर्व रजवाडों की भूमि को राजपूताना नाम से जाना जाता था। विभिन्न रियासतों के विलय के बाद, राजपूताना को राजस्थान कहा जाने लगा।

भाषाई सर्वेक्षण होकर सन 1914 में एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी जिसका नाम था 'लिग्निस्टिक सर्वे ऑफ इण्डिया'। उसमें राजपूताना की तत्कालीन रियासतों में बोली जाने वाली बोलियों के नाम दिये हैं, किन्तु उसमें कहीं भी राजस्थानी भाषा अथवा बोली का उल्लेख नहीं मिलता। यह सच है मारवाडी, ब्रज, बागडी, मेवाडी, हाडौती, शेखावाटी आदि बोलियां राजपूताना के अलग-अलग भागों में बोली जाती रही हैं, किन्तु राजस्थानी नाम की बोली तो आज भी कहीं नहीं बोली जाती। कोटा, बूंदी, झालावाड में हाडौती बोली, बोली जाती थी। मारवाडी केवल 5 जिलों में बोली जाती है। बागडी केवल डूंगरपुर में बोली जाती थी हाडोती में बागडी को न तो समझ सकता है और न बोल सकता है। ब्रज क्षेत्र में ब्रज बोली जाती थी। सन 1949 में राजस्थान उच्च न्यायालय की भाषा हाईकोर्ट ऑर्डिनेन्स द्वारा हिन्दी घोषित की गई थी। स्कूलों में हिन्दी पढाई जाती थी।

स्वाधीनता प्राप्त करने के बाद संविधान निर्मात्री कमेटी ने संविधान बनाने के हेतु 29.8.1947 को ड्राफ्ट कमेटी का गठन किया। उसने संविधान का ड्राफ्ट फरवरी 1948 में बनाया। देश की राजभाषा (राष्ट्र भाषा) के संबंध में कमेटी में गम्भीर वाद विवाद व चर्चायें हुईं, लगभग 300 संशोधन पर विचार हुआ, और इस आधार पर राजभाषा का चेप्टर संविधान का महत्वपूर्ण अंग बना। इस संबंध में संविधान के अनुच्छेद 120, 348, 351, 210, व अनुसूची 8 का अध्ययन अति आवश्यक है। ये सभी प्रावधान भाषाओं से संबंध रखते हैं और बोली से इनका कोई संबंध नहीं है। साहित्य व भाषा सनातन है और बोलियां तो प्रत्येक 12 कोस पर बदलती रहती है।

संविधान निर्मात्री कमेटी ने संविधान और राजभाषा के चेप्टर को बहुत ही कुशलता से ड्राफ्ट किया है। इसकी विषय वस्तु को माननीय गोपाल स्वामी आयंगर के शब्दों में इस प्रकार अभिव्यक्त किया गया है:-

"हम सबने जो अन्तिम निर्णय लिया है वह है कि हमने हिन्दी का राजभाषा के रूप में अंगीकार किया है..... जब हम कोई लक्ष्य प्राप्त करते हैं तो हमें अंग्रेजी की जिसे हमने अपनाया था, उसे विदाई देनी होगी। हिन्दी को अंग्रेजी के स्थान पर अंगीकार करने का काम हमने किया है। अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी को लाने का हमारा महत्वपूर्ण निर्णय है। हमें कुछ वर्षों तक अंग्रेजी का प्रयोग चालू रखा है, रखना होगा कि समय के बाद हिन्दी पूर्ण रूप से उसका स्थान ले ले"।

हिन्दी राष्ट्रभाषा होगी 14.9.1949 को घोषणा की गई थी। दुर्भाग्य था कि संसद में राजभाषा अधिनियम 1963 संविधान लागू होने के 13 वर्षों के बाद बनाया और नियम 13 वर्षों के बाद 1976 में बने जबकि यह प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 368 के प्रतिकूल थी और संविधान के मूल ढांचे को खण्डित करने वाली थी। संविधान के लागू होने के 15 वर्ष बाद राजभाषा अधिनियम 1963 में सन 1968 में एक संशोधन लाया गया कि जब तक देश की सभी विधान सभायें प्रस्ताव पारित कर यह निर्णय न ले लें कि अंग्रेजी का प्रयोग समाप्त कर दिया जावे, हिन्दी को राजभाषा बनाने तक अंग्रेजी का प्रयोग चालू रहेगा। इस संशोधन से वीटो का अधिकार विधान सभाओं को दे दिया गया जबकि अनुच्छेद 343 के अनुसार 26 जनवरी 1965 को हिन्दी राजभाषा (राष्ट्रभाषा) स्वत: ही घोषित हो चुकी थी। अनुच्छेद 120 ने स्पष्ट कर दिया कि 15 वर्षों के बाद अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी संसद की भाषा होगी। संसद ने भी स्पष्ट कर दिया है लिंक भाषा हिन्दी होगी और प्रत्येक सांसद अपनी क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग कर सकता है। हाँ विशिष्ट परिस्थितियों में अंग्रेजी का प्रयोग भी हो सकता है। सन 1968 का संशोधन असंवैधानिक व अवैध है और वीटो का अधिकार निरंकुश है।

सभी राज्यों ने अपने राज्य के लिये, राजस्थान के लिये राजस्थान राजभाषा अधिनियम 1956 में ही बन गया था और राज की भाषा धारा 3 के अनुसार हिन्दी घोषित की गई। राजस्थान हिन्दी भाषी राज्य है यहां सम्पर्क भाषा हिन्दी है, फिर हिन्दी को हटाकर अंग्रेजी को लाने का तो कोई औचित्य नहीं है।

**आज हिन्दी जन जन की भाषा हो चुकी है, देश हिन्दी बोलता है। हिन्दी की फिल्में देखता है। हिन्दी यूएनओ की भाषा होने जा रही है। अतः कुछ बोलियों को राजस्थानी कह कर आठवीं अनुसूची में शामिल करने की बात हिन्दी के हित में नहीं है, और न भारतीय संविधान के अनुरूप है।**

सन 2021 में एक समाचार पढा था कि एक रिट याचिका (पीआईएल) राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में पेश की गई थी उसमें राजस्थानी यानि राजस्थान की बोलियों को अनुसूची 8 में शामिल करने की प्रार्थना की थी और अभी कुछ दिनों पूर्व ही संसद में एक प्राइवेट बिल इसी हेतु प्रस्तुत किया है जिसमें भी वहीं प्रार्थना है। यों तो वह अवैध है, निरंकुश है व अमान्य है देश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू है। इस अधिनियम व नियमों में तथा देश की शिक्षा नीति में यह आवश्यक घोषणा की गई है कि बच्चों की प्रारम्भिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में होनी चाहिये। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर में डीबी स्पेशल अपील रिट नं. 19/2022 के केस स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य बनाम स्कूल डेवेलपमेंट कमेटी श्री हरीसिंह स्कूल व अन्य में यह स्पष्ट कर दिया है कि मातृभाषा का अर्थ है हिन्दी।

कुछ दिन पूर्व ही उच्च न्यायालय जोधपुर के समक्ष एक पिटीशन एकल पीठ में पेश की गई थी, उसमें महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल को लेकर एक निर्णय दिया गया है। एकल पीठ के समक्ष यह प्रार्थना की थी कि अंग्रेजी माध्यम की स्कीम संविधान, आरटीआई एक्ट 2009 के तहत अवैध है। एकल पीठ ने यह भी माना कि बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में होनी चाहिये तथा स्कूल के क्षेत्र में हिन्दी माध्यम से संचालित स्कूल है व अन्य कोई स्कूल नहीं है अत: स्कूल को हिन्दी से अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में बदलना उचित नहीं है एकल पीठ के निर्णय के विरूद्ध खण्डपीठ में उक्त अपील की गई थी। इस अपील की सुनवाई न्यायाधीश संदीप मेहता व न्यायाधीश कुलदीप माथुर की खण्डपीठ में की गई। खण्डपीठ ने एकल पीठ के निर्णय के हस्तक्षेप उचित नहीं समझा और निर्णय दिनांक 27.07.2022 में यह करार दिया कि अंग्रेजी माध्यम से स्कूल संचालित करना है तो दूसरी पारी में किया जावे और हिन्दी माध्यम स्कूल को लगातार संचालित किया जावे और 15 दिन में जो अन्य विद्यार्थी हिन्दी माध्यम में प्रवेश लेना चाहें तो उन्हें प्रवेश देवें। इस प्रकार के आदेश से खण्डपीठ ने अपील का निस्तारण कर दिया। खण्डपीठ के निर्णय के विरूद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील होगी इसकी पूरी सम्भावना है। अत: विषय के गुण दोष पर कुछ नहीं कहना ही उचित है। केस में केवल विवाद बिन्दु इतना ही था कि प्रत्येक राज्य में प्रारंभिक शिक्षा राज्य की घोषित भाषा में दी जावेगी। इसका अर्थ है संविधान की आठवीं अनुसूची वह प्रावधान है जो प्रत्येक प्रान्त के लिये अपनी राजभाषा घोषित करता है और वहीं प्रान्त के लोगों की मातृभाषा है। राजस्थान में सभी जिलों में हिन्दी बोली जाती है और वही कामकाज की भाषा है और मातृभाषा है। इसी प्रकार अन्य राज्यों की अपनी अपनी राजभाषा है और हिन्दी लिंक भाषा है, जिसने अंग्रेजी के स्थान पर आसीन किया गया है। हिन्दी का कोई विरोध प्रान्तीय भाषाओं से नहीं है। अंग्रेजी विदेशी भाषा है, वह मातृभाषा नहीं है। अन्य भाषाओं की तरह यानी फ्रेन्च, जर्मनी आदि की तरह वह देश में पढाई जा सकती है, किन्तु प्रारंभिक शिक्षा तो मातृभाषा में ही होगी, जिसका उल्लेख आठवीं अनुसूची में है। बोलियों के लिये आठवीं अनुसूची में कोई स्थान नहीं है। देश का प्रत्येक प्रान्त अपने राज्य की भाषा का साहित्य सृजन कर सकता है, इसमें कोई टकराव नहीं है। बोलियों में भी कई बोलियां प्रान्तों में ऐसी हैं, उनका साहित्य हो सकता है। वर्तमान में (जहां तक राजस्थान का संबंध है) मारवाडी राज्य के केवल पांच जिलों में बोली जाती है, हाडौती कोटा, बूंदी, झालावाड जिलों में बोली जाती है, इस प्रकार इन बोलियों को राजभाषा नहीं माना गया है। राजस्थान ऑफिशियल लेंग्वेजेज एक्ट 1956 के अनुसार राज्य की भाषा हिन्दी है, इस प्रकार विधान सभा के दिनांक 25.8.2003 के प्रस्ताव के अनुसार ब्रज, ढूंढाडी, मारवाडी, बागडी, शेखावाटी आदि को हम हिन्दी नहीं कह सकते न इन्हें सामूहिक रूप से राजस्थानी कह सकते हैं।

यह मान्य सिद्धान्त है कि किसी भी अन्य देश की विदेशी भाषा के माध्यम में शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकती। हिन्दी सदियों से राजकाज और जन जन की भाषा रही है। ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासन काल में भी हिन्दी का शासन हेतु व्यवहार होता था। जैसा ऊपर कहा है 1949 में राजस्थान उच्च न्यायालय की भाषा हिन्दी रखी गई थी। सन्तों, देशभक्तों, समाज सुधारकों, स्वतंत्रता सेनानियों ने राष्ट्रीय एकता को अक्षुण्ण रखने के हेतु हिन्दी को ही माध्यम माना था।

जुलाई 2021 को नई शिक्षा नीति का एक वर्ष पूरा हो चुका है। इस अवसर पर पीएम नरेन्द्र मोदी ने घोषणा की है कि आठ राज्यों में 14 इंजीनियरिंग कॉलेजों में हिन्दी, तामिल, तेंलगु, मराठी, बंगाली में इंजीनियरिंग पढाई जावेगी।

आज हिन्दी जन जन की भाषा हो चुकी है, देश हिन्दी बोलता है। हिन्दी की फिल्में देखता है। हिन्दी यूएनओ की भाषा होने जा रही है। अत: कुछ बोलियों को राजस्थानी कह कर आठवीं अनुसूची में शामिल करने की बात हिन्दी के हित में नहीं है, और न भारतीय संविधान के अनुरूप है। प्रारंभिक शिक्षा तथाकथित राजस्थानी यथा ब्रज, ढूंढाडी, मेवाती, मारवाडी, हाडोती, शेखावाटी आदि को मातृभाषा मानकर शिक्षा देना असंभव है। राजपूताने में भी प्रारंभिक शिक्षा हिन्दी में ही दी जाती थी। आज के युवक अंग्रेजी की पीछे पागल हो रहे हैं वे बोलियों को क्या हिन्दी को भी नहीं समझ रहे हैं। हिन्दी के प्रति यही उदासीनता रही तो 100 वर्ष बाद हिन्दी समझने वाले मुठ्ठी भर रह जावेंगे एक उत्कृष्ट वैज्ञानिक भाषा का अन्त हो सकता है। वर्तमान में हिन्दी बोलने वाले एक दर्जन से अधिक देश हैं। हिन्दी बोलने वाले 80 करोड से अधिक हैं। हिन्दी दुनिया की दूसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। तथाकथित राजस्थानी भाषा यथा प्रान्त की बोलियों को राजस्थानी भाषा का राज्य मानने पर राज्य के 9 करोड हिन्दी बोलने वालों की संख्या कम हो जावेगी। फलस्वरूप हिन्दी को विश्व भाषा बनाने का सपना ही टूट जावेगा।

**–अतिथि सम्पादक,**
**पानाचन्द जैन**
**पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट, जयपुर**

# पूंजीवादी अर्थनीति और साम्प्रदायिक राजनीति का वाहक बनता जा रहा है आदिवासी नेतृत्व

डॉ.रमेश बैरवा

विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आदिवासी नेतृत्व क्या करे? आदिवासी समुदाय के जल, जंगल, जमीन एवं मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन के संकल्प को दोहराने के लिए प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पहली बार 1994 में 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया था। जल, जंगल और जमीन के असली हकदार इस देश के आदिवासी हैं । आदिवासियों के लिए कानूनन अनुसूचित जनजाति शब्द प्रयुक्त किया है।

2011 की जनगणना के मुताबिक इंडिया की साढ़े आठ प्रतिशत आबादी आदिवासी समुदाय की है। राजस्थान में साढ़े तेरह प्रतिशत आबादी आदिवासी लोगों की है। आदिवासी आबादी की बहुलता की दृष्टि से बांसवाडा प्रथम, डूंगरपुर द्वितीय एवं प्रतापगढ़ जिला तृतीय स्थान पर है। भील, मीना, डामोर, गरासिया, धानका, कोकना, पटेलिया, काठोड़ी, नाईकड़ा , सेहरिया राजस्थान की प्रमुख आदिवासी जातियां हैं।

आदिवासियों के अधिकार, कल्याण एवं उन्नित के लिए संवैधानिक प्रावधान हैं। शिक्षा एवं रोजगार के लिए अनेक सरकारी योजनाएं चल रही हैं। एसटी सब प्लान है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम भी बना हुआ है लेकिन आदिवासी समुदाय का बड़ा हिस्सा शिक्षा एवं विकास की दृष्टि से आज भी बदतर स्थिति में है।

राजस्थान पुलिस की ताजा क्राइम रिपोर्ट के मुताबिक अनुसूचित जनजाति पर अत्याचारकी घटनाओं में राजस्थान में पिछले 10 वर्षों में 67 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार के वर्ष 2011 में 1263 प्रकरण दर्ज हुए थे जो 2021 में बढ़कर 2121 हो गए। इनमें 67 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। 2019 से 2021 के 3 वर्षों में अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार की घटनाओं में 18 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

आदिवासी क्रूर पूंजीवादी और अर्द्ध सामंती शोषण के शिकार हैं। जल,जंगल और जमीन के हक से बेदखल कर दिए जा रहे हैं। पूंजीपति और धनी किसानों के लिए सस्ती और बंधुआ मजदूरी के स्त्रोत बन गए हैं। वन अधिकार कानून को कमजोर कर आदिवासियों को बेदखल किया जा रहा है। कॉरपोरेट परस्त नीतियों के कारण आदिवासियों के अस्तित्व एवं अस्मिता पर हमला हो रहा है।

आदिवासी महिलाएं दैहिक शोषण का शिकार हो रही हैं। आदिवासी संस्कृति और विशिष्ट पहचान खतरे में है। मजदूर, किसान, महिला, दलित जैसे मेहनतकश व वंचित तबकों की तरह आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों पर हमले बढ़ते ही जा रहे हैं। दक्षिण राजस्थान में आदिवासियों के हालात तो और भी बदतर हैं। हिन्दुकरण के नाम पर आदिवासियों को सांप्रदायिक एवं हिंसक बनाया जा रहा है। मीणा समुदाय की पहचान पर उपजा विवाद इसका उदाहरण है।

यह अच्छी बात है कि आदिवासी समुदाय के हकों के लिए आवाज भी उठ रही है। वे लोग जो हर किस्म के शोषण के खिलाफ हैं। जो इंडिया को सही मायने में समतामूलक समाज बनाना चाहते हैं।

अपनी विशिष्ट पहचान एवं संस्कृति को बचाए रखने तथा अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की खातिर आदिवासी समुदाय के बीच जागरूकता आई है। आदिवासी अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए संघर्ष तेज कर रहे हैं। अमीर परस्त शासनतंत्र आदिवासी समुदाय की एकजुटता को तोड़ने का प्रयास करता है।

उन्हें जायज अधिकारों से वंचित करता है। कई बार तो क्रूर तरीके से दमन भी करता है। आदिवासी अस्मिता एवं विशिष्ट पहचान की आड़ में कुछ आदिवासी संगठन कट्टरता फैला रहे हैं।

यह भी गौरतलब है कि आदिवासी नेतृत्व का बड़ा तबका आदिवासियों को उनके जल, जंगल और जमीन के पुश्तैनी हक से वंचित और विस्थापित करने वाली पूंजीवादी अर्थनीति और साम्प्रदायिक राजनीति का वाहक बनता जा रहा है। समस्त शोषित पीड़ित तबकों की एकता एवं साझा संघर्ष का विरोधी है। जबकि फौरी जरूरत आज पूंजीवादी अर्थनीति और विभाजन की सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ आदिवासी एवं गैर आदिवासी तबकों की साझा एकता एवं संघर्ष की है। किसी आदिवासी नेता के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, बड़ा अधिकारी बन जाने से मात्र से ही आदिवासियों को शोषण से मुक्ति नहीं मिलेगी।

विषमता, भेदभाव, शोषणमूलक व्यवस्था में प्रतिनिधित्व के नाम पर भागीदारी से ही काम नहीं चलेगा। बुनियाद बदलाव अत्यंत जरूरी हैं और बुनियादी बदलाव तभी आ पाएगा जब आदिवासी के हक में नीतियां बने और इनका फायदा आदिवासी अभिजन को नहीं बल्कि आदिवासी आमजन को मिले। क्या ऐसा किया जाएगा?

**डॉ.रमेश बैरवा,.**
**विभागाध्यक्ष राजनीति विज्ञान**
**राजकीय कला महाविद्यालय, अलवर**

# जेल में बंद भाइयों को बहनों ने बांधा रक्षा सूत्र

अजमेर, (कास)। अजमेर शहर सेंट्रल जेल में अपराध की सजा काट रहे कैदी भाइयों की कलाई पर बहनों ने राखी बांध कर भाई की रिहाई की दुआ मांगी। इस मौके पर भाई-बहनों

■ **सीआरपीएफ के जवानों को भी महिला मोर्चा की बहनों ने रक्षा सूत्र बांधे**

की आंखों से आसूं भी छलक पड़े। बहनों ने भाइयों के सुखी जीवन की कामना की।

रक्षाबंधन के पर्व पर देशवासियों की रक्षा करने वाले सीआरपीएफ के जवानों को महिला मोर्चा की बहनों ने कल ई पर रक्षा सूत्र बांध कर उनके जीवन की मांग कामना की।

अजमेर सेंट्रल जेल में कैदी भाइयों को मिठाई खिलाती बहने।

प्राचीन सिन्धी शिव मन्दिर गंज परिसर में जन सेवा समिति, अजयमेरू सेवा समिति, व्यापारिक एसोसिएशन गंज और पूज्य सिन्धी पंचायत अजमेर के तत्वावधान में सर्वधर्म प्रतिनिधियों द्वारा रक्षा बंधन कार्यक्रम आयोजित कर कौमी एकता व भाई चारे की मिसाल पेश की।

इसी प्रकार रक्षाबंधन के पर्व पर पंचशील निवासी प्रतिष्ठा तोलानी अपने मुस्लिम भाई राहिल हुसैन को राखी बांध कर सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश की। तोलानी पिछले 8 वर्षों से राखी बांधती आ रही है।

अजमेर में गुरुवार को सेंट्रल जेल प्रशासन ने कैदी भाइयों व उनकी बहनों के लिए विशेष इंतजाम किए। जेल व जिला पुलिस ने जेल सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करते हुए अतिरिक्त जाब्ता भी तैनात किया। जेल के मुख्य द्वार पर जेल प्रशासन ने राखी बांधने की व्यवस्था की, जहां सलाखों के पीछे बैठे भाई को बहन ने राखी बांध मिठाई खिलाई। इस दरमियान बहन-भाइयों की आंखें भी छलक उठी।

# मजबूत इरादा लेकर हज के लिए पैदल निकले केरल के शिहाब चित्तूर

जून माह से केरल के मन्नपुराम से पैदल हज पर निकला शिहाब चित्तूर पुर कस्बे में पहुंचा।

भीलवाड़ा, (निसं)। अल्लाह का घर देखने की तमन्ना हर मुसलमान की होती है लेकिन हजारों किलोमीटर पैदल चलकर हज पर जाना हर किसी के बस की बात नहीं लेकिन जब इरादे मजबूत हो तो मंजिल भी आसान हो जाती है। ऐसा ही नेक और मजबूत इरादा लेकर हज के लिए निकले है केरल के शिहाब चित्तुर।

शिहाब की रजा (मर्जी) और जिद अल्लाह का घर पैदल जाकर देखने की है। युवा शिहाब चित्तुर जून माह में केरल के मन्नपुराम से पैदल हज पर निकले जो पुर की सरजमीन पर पहुंचे और पुर कच्ची बस्ती स्थित एक नीजि निवास पर ठहरे। इस दौरान केरल के शिहाब ने बताया कि मैं जून माह से केरल के मन्नपुराम से पैदल हज पर निकला। इस दौरान जगह-जगह पर मेरे चाहने वालों ने मेरा इस्तकबाल किया, पर भीलवाड़ा की सरजमीन पुर में यहां के बाशिंदो व पुलिस-प्रशासन ने जो व्यवस्था की वह वाकई में सभी जगहों सें अलग दिखाई दी। यहां पर हजारों की तादाद में बच्चे, बुजुर्ग व औरतें मौजूद थे। इसके बाद भी अंजुमन कमेटी पुर, लैब्बक कमेटी, पठान समाज व गरीब नवाज कमेटी के साथ पुर थाने के पूरे स्टॉफ ने मिलकर जो व्यवस्था कायम की वह काबिले तारीफ थी। इसके लिए में और मेरी टीम की तरफ से इन सभी का तहेदिल से शुक्रिया अदा करता हुं।

# हाथ में तिरंगे के साथ पेड़ों को राखी बांधी

रायला क्षेत्र के ईरांस ग्राम में पर्यावरण प्रेमी युवाओं ने पेड़ों के रक्षा सूत्र बांधे।

भीलवाड़ा, (निसं)। जिले के रायला क्षेत्र के ईरांस ग्राम में पर्यावरण प्रेमी युवाओं ने हाथों में तिरंगा झंडा लिये रक्षाबंधन का पर्व अनोखे अंदाज में मनाया।

वहीं पेड़ों को रक्षा सूत्र बांधकर पालन पोषण करने का भी संकल्प लिया। पर्यावरण प्रेमी नेहरू युवा मंडल अध्यक्ष सांवर जाट, कोषाध्यक्ष मुकेश जाट, रमेश गिरी, भगवती लाल सुथार, बाबूलाल जाट, राजेन्द्र जाट, गोविन्द राम, मुकेश कुमार, पुखराज जाट, शंभूलाल रेबारी, रणजीत गुर्जर हर साल पेड़ पौधों के संरक्षण का काम कर रहे हैं ।

अध्यक्ष जाट ने बताया कि करीब 3 साल पहले ग्राम पंचायत के चारागाह परिसर में ग्राम पंचायत ईरांस व नेहरू युवा संगठन के सहयोग से छायादार एवं फलदार पौधे लगाए थे। इन पौधों को हर साल रक्षा सूत्र बांधकर पालन पोषण कर रहे हैं।

पहले जो छोटे पौधे थे अब बड़े वृक्ष बन गए हैं जिसमें वट वृक्ष सहित कई पीपल, गुलमोहर, कदम्ब, अशोक सहित कई तरह के पौधे शामिल हैं। पर्यावरण प्रेमियों ने कहा कि छायादार पेड़ों को हर साल रक्षा सूत्र बांधकर रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं, ताकि पर्यावरण का संरक्षण किया जा सके।

## राशिफल शुक्रवार 12 अगस्त, 2022

पंडित अनिल शर्मा

सावन मास, शुक्ल पक्ष, पूर्णिमा, शुक्रवार, विक्रम संवत 2079, धनिष्ठा नक्षत्र रात्रि 1:36 तक, सौभाग्य योग दिन 11:33 तक, बव करण प्रात: 7:06 तक, चन्द्रमा आज दिन 2:44 से कुम्भ राशि में संचार करेगा।

**ग्रह स्थिति:** सूर्य-कर्क, चन्द्रमा-मकर, मंगल-वृष, बुध-सिंह, गुरू-मीन, शुक्र-कर्क, शनि-मकर, राहु-मेष, केतु-तुला राशि में।

आज राजयोग सूर्योदय से प्रात: 7:04 तक है। आज सावनी पूर्णिमा, सत्य व्रत, संस्कृत दिवस, जीवतंतिका पूजन, वरद लक्ष्मी व्रत है। पंचक दिन 2:44 से आरम्भ होगा। आज प्रतिपदा तिथि का क्षय हुआ है।

**श्रेष्ठ चौघड़िया:** चर सूर्योदय से 7:38 तक, लाभ-अमृत 7:38 से 10:54 तक, शुभ 12:32 से 2:10 तक, चर 5:25 से सूर्यास्त तक।

**राहूकाल:** 10:30 से 12:00 तक। सूर्योदय 6:00, सूर्यास्त 7:03

**मेष**
अपने अति आवश्यक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। दिन के मध्यान्ह पश्चात आर्थिक/वित्तीय समस्या का समाधान हो सकता है।

**वृष**
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। दिन के मध्यान्ह पश्चात व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा।

**मिथुन**
अपनी योजना को सीमित रखें। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। आर्थिक समस्या अभी बनी रहेगी। दिन के मध्यान्ह पश्चात अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी।

**कर्क**
व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। संभावित स्त्रोत से धन प्राप्त होगा। दिन के मध्यान्ह पश्चात अष्टम चन्द्र शुभ नहीं है।

**सिंह**
स्वास्थ्य संबंधित चिन्ता दूर होगी। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अनहोनी की आशंका से बना हुआ मन का भय समाप्त होगा। दिन के मध्यान्ह पश्चात परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

**कन्या**
व्यावसायिक कार्यों के लिए बाहर जाने का कार्यक्रम बन सकता है। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। धन प्राप्त हो सकता है। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है।

**तुला**
घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। परिवार में अतिथियों के आगमन से उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

**वृश्चिक**
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। नये-पुराने मित्रों से मुलाकात हो सकती है। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं।

**धनु**
आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। संभावित स्त्रोत से धन प्राप्त होगा। शुभ कार्यों के लिए बाहर जाने का कार्यक्रम बन सकता है। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है।

**मकर**
मन:स्थिति ठीक रहेगी। मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। आवश्यक और महत्वपूर्ण कार्य शीघ्रता से बनने लगेंगे। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं।

**कुंभ**
घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। अनर्गल कार्यों में समय खराब हो सकता है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। अतिथियों का आगमन बना रहेगा।

**मीन**
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। आय में वृद्धि होगी। परिवार में प्रसन्नता का माहौल रहेगा। परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।